

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो०-703/2026 05 जून

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

उप निदेशक, ईख विकास, पटना।

सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा/मोतिहारी/
गोपालगंज/समस्तीपुर/सीवान/दरभंगा/पटना।

विषय :

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत "मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम" के अधीन भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान हेतु अवशेष राशि कुल 6,55,38,867.00 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ) रुपये मात्र की वित्तीय वर्ष 2026-2027 में निकासी का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-196 स्वी०/सी.सी. दिनांक-03.07.2025 के द्वारा कुल 49.00 करोड़ रु० की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में लाभुकों को भुगतान हेतु अवशेष राशि कुल मो० 6,55,38,867.00 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि. दिनांक-01.04.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में मो० 6,55,38,867.00 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ) रुपये का आवंटन किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-196 स्वी०/सी.सी. दिनांक-03.07.2025 के द्वारा कुल 49.00 करोड़ रु० की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में इस योजनांतर्गत हुए भौतिक उपलब्धि के आलोक में तकनीकी कारणों से कोषागार से देय राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप विभिन्न मदों में लाभुकों के भुगतान हेतु अवशेष राशि के रूप में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-218 स्वी०/सी०सी० दिनांक-03.07.2026 द्वारा मो० 6,55,38,867.00 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ) रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

3. इस योजनांतर्गत अवशेष राशि की निकासी से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-1) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रुपये रु०)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (रुपये रु०)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	1281850000.00	58680199.00
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	28945000.00	3359326.00
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	12405000.00	0.00

(Handwritten signature)

2.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45- उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007890108	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	248000000.00	1025681.00
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	5600000.00	1440000.00
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	2400000.00	0.00
3.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष-0129-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007960129	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	20150000.00	828661.00
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	455000.00	192000.00
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	195000.00	13000.00
योग-			160,00,00,000.00	655,38,867.00

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि. दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वीकृत्यादेश संख्या-196 स्वी०/सी.सी. दिनांक-03.07.2025 एवं 218 स्वी०/सी.सी. दिनांक-03.07.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026 05 अगस्त

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मोतिहारी/गोपालगंज/समस्तीपुर/सिवान/दरभंगा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026 05 बजट

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026 05 बजट

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- संबंधित सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026 05 बजट

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2025-26) अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अवशेष राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में उनके सामने श्रेणीवार आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	आवंटित राशि (लाख ₹० में)												कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी	
		सामान्य				अनु० जाति				अनु० जन जाति					योग
		33 01 सभिसदी	20 02 कान्फेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	20 03 प्रशिक्षण व्यय	योग	33 01 सभिसदी	20 02 कान्फेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	20 03 प्रशिक्षण व्यय	योग	33 01 सभिसदी	20 02 कान्फेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	20 03 प्रशिक्षण व्यय	योग		(6+10+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	292.40355	0.00000	0.60000	293.00355	5.13056	0.00000	0.00000	5.13056	8.28661	0.00000	0.00000	8.28661	306.42072	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0.32500	0.00000	0.00000	0.32500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.32500	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	99.29800	0.00000	0.00000	99.29800	4.53125	0.00000	0.00000	4.53125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.82925	कोषागार , गोपालगंज
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	79.20395	0.00000	0.00000	79.20395	0.59500	0.00000	0.00000	0.59500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.79895	कोषागार, समस्तीपुर
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	25.20024	0.00000	0.00000	25.20024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 20024	कोषागार, सिवान
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	0.65000	0.00000	0.00000	0.65000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0 65000	कोषागार, दरभंगा
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	0.97125	0.00000	0.00000	0.97125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.97125	कोषागार, पटना
8	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0.00000	0.00000	32.99326	32.99326	0.00000	0.00000	14.40000	14.40000	0.00000	0.13000	1.92000	2.05000	49.44326	कोषागार, पटना
9	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	88.75000	0.00000	0.00000	88.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88.75000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग--	586.80199	0.00000	33.59326	620.39525	10.25681	0.00000	14.40000	24.65681	8.28661	0.13000	1.92000	10.33661	655.38867	


ईखायुक्त, बिहार।